संख्या-23/2019/443जेएल/22-3-19-800(186)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 13 फरवरी, 2019***

विषय- केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी विपिन तिवारी पुत्र श्री दिनेश तिवारी, निवासी-ग्राम-सेमरझाल, थाना-नर्वल, जनपद-कानपुर नगर को पत्नी के उपचार हेतु पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2060/जि0मजि0/जि0प्रो0का0/बंदी पैरोल वृद्धि/2017-18, दिनांक 06-02-2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़ के सिद्धदोष बंदी विपिन तिवारी पुत्र श्री दिनेश तिवारी, निवासी-ग्राम-सेमरझाल, थाना-नर्वल, जनपद-कानपुर नगर को शासनादेश संख्या-01/2019/2495जेएल/22-3-18-800(186)/2015, दिनांक 02-01-2019 के क्रम में **एक माह की पैरोल (दण्ड का अस्थाई निलम्बन) वृद्धि** स्वीकृत की जाती है। शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-23/2019/443जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in